



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12112025-267576
CG-DL-E-12112025-267576

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4931]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 11, 2025/कार्तिक 20, 1947

No. 4931]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 11, 2025/KARTIKA 20, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2025

का.आ. 5086(अ).—यतः केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी सूचना स.का.आ. 2004 (अ), तारीख 30 अगस्त 2012 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 227A को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को सौंपा है।

अतः अब राष्ट्रीय राजमार्ग (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् नियम कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 227A डिजाइन कि.मी. 0.000 से 54.960 (वर्तमान कि.मी. 0.000 से 55.000) (छावनी - निकट ग्राम-छपिया मार्ग) तक के खंड के प्रयोग के लिए निम्नलिखित तालिका - 1 के कालम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनो के प्रकार पर 53.860 किमी. की दो लेन पेव्ड शोल्डर सहित निविल सड़क खण्ड की लम्बाई के लिए तालिका-1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर का 60 प्रतिशत की दर पर तथा 1.100 किमी. चार तथा अधिक लेन के उपयोग हेतु निविल सड़क खण्ड की लम्बाई के लिए तालिका-1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर का 100 प्रतिशत की दर पर यांत्रिक वाहन से फ्रीस उद्गृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फ्रीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका - 1	
वाहन के प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए फीस की प्रति कि.मी. आधार दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन हल्के माल, वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहुधुरीय (एमएवी) (4 से 6 धुरी वाले)	3.45
विशाल आकार के वाहन (7 या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संग्रहीत की जाने वाली फीस ऐसे पथकर प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क लंबाई हेतु पथकर प्लाजा पर देय और संदेय होगी, अर्थात:-

तालिका - 2		
पथकर प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है।
उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के बैरागल गाँव में एन.एच.-227A के डिज़ाइन कि.मी. 23.00 पर	53.860 कि.मी.	पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन के लिए उक्त तालिका - 1 में उल्लिखित आधार दर का 60 प्रतिशत
	1.100 कि.मी.	चार लेन या उससे ज्यादा के लिए उक्त तालिका - 1 में उल्लिखित आधार दर का 100 प्रतिशत
कुल योग	54.960 कि.मी.	

2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से 20 कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2025-26 के लिए मासिक पास की दर 340.00 रु. (तीन सौ चालीस रुपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।
3. राजमार्ग खंड पर बहु यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-3		
संदेय राशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से 24 घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य शुल्क की राशि का दो तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

4. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50 प्रतिशत होगा, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।
5. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा होगा उसके चालक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उपनियम 1 ए में विनिर्दिष्ट के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खंड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक की ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।

6. यांत्रिक वाहनो की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनो की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होगी।
7. उक्त नियमों के नियम 12 -के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जायेगा।
8. ऊपर सारणी - 1 में यथा - उल्लिखित, आधार वर्ष 2007 - 08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनो से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और नियमों के नियम - के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया 5 जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम से कम एक एक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाएगा।
9. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत रु 294.23 करोड़ है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वसूल किये गये प्रयोक्ता शुल्क के जरिये पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जायेगा।

[फा. सं सीई-एनएच/एलकेओ/आरओ-227ए/यूपी/2018-19/565(टोल-ई)/(257391)]

चेतना नन्द सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2025

S.O. 5086(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3689(E) dated 09.12.2016 issued under Section 5 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the new National Highway 227A as situated in the State of Uttar Pradesh to the State Government of Uttar Pradesh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 53.860 km at 60% of the base rate for use of two lane with paved shoulder section and for net road section length of 1.100 km at 100% of the base rate for use of four lane section on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Chhawani to Near Chhapia Village Section from design km 0.000 to km 54.960 (existing km 0.000 to km 55.00) of National Highway number 227A in the State of Uttar Pradesh and authorises the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely: -

Table 2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Design Km 23.00 227A in Bairagal Village in Basti District of Uttar Pradesh	53.860 Km	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

	1.100 km	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
Total Road Length	54.960 Km	

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometer from the fee plaza is Rs 340.00 (Rupees Three Hundred and Forty only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

3. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table 3		
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

8. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

9. The estimated capital cost of the project is Rupees 294.23 crores. The National Highway Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. CE-RO/LKO/NH-227A/UP/2018-19/565(Toll)/E-257391]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.